



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-04112022-240041
CG-DL-E-04112022-240041

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 280]

नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 4, 2022/कार्तिक 13, 1944

No. 280]

NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 4, 2022/KARTIKA 13, 1944

नागर विमानन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 नवम्बर, 2022

फा. सं. एवी.11012/7/2020-ए-एमओसीए.—वायुयान नियम, 1937 के नियम 78 के उप-नियम (1ए) के परंतुक के अनुसरण में तथा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग I, धारा 1 में दिनांक 9 नवम्बर, 2020 को प्रकाशित, दिनांक 29 अक्टूबर, 2020 की अधिसूचना संख्या एवी. 11012/4/2005-ए का अधिक्रमण करते हुए, केंद्रीय सरकार एतद्द्वारा निदेश देती है कि 30 जून, 2023 के बाद से कोई भी व्यक्ति, रक्षा हवाई अड्डे तक/से अनुसूचित हवाई परिवहन सेवाओं का प्रचालन नहीं करेगा, जब तक कि ऐसे हवाई अड्डे को नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा वायुयान नियम, 1937 के नियम 78 के उप-नियम (1ए) की अपेक्षानुसार प्रमाणित न कर दिया गया हो।

सत्येंद्र कुमार मिश्रा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CIVIL AVIATION

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd of November, 2022

F. No. AV.11012/7/2020-A-MOCA.—In pursuance of the proviso to sub-rule (1A) of rule 78 of the Aircraft Rules, 1937 and in supersession of the notification No. AV.11012/4/2005-A dated

29th October, 2020, published in the Gazette of India, Extra ordinary, Part I, Section I on 09th November, 2020, the Central Government hereby directs that no person shall operate scheduled air transport services to/from a defence aerodrome after 30th June, 2023 unless such aerodrome has been certified by the Director General of Civil Aviation as required by sub-rule (1A) of rule 78 of the Aircraft Rules, 1937.

SATYENDRA KUMAR MISHRA, Jt. Secy.